न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 46 / 2024

अपीलार्थी
होलीबाई पत्नि मवाराम जी, जाति– भांबी, निवासी– डोडुआ, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण
1. मोहनलाल पुत्र भुबाराम जी, जाति–सरगडा, निवासी–डोडुआ, तह. व जिला–सिरोही
2. पार्वती देवी पत्नि मोहनलाल, जाति–सरगडा, निवासी–डोडुआ, तह. व जिला सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला–सिरोही

"अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से

दिनांक 07 मार्च, 2025

–: निर्णय :–

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 03 / 2024 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 30.8.2024 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या– 3 (तीन) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सेन ने वकालतनामा पेश किया, लेकिन प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 04.3.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री गोविन्द सेन ने इस प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पैरवी की कोई हिदायत नही (No Instruction) होना व्यक्त किया। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को तीन तीन बार आवाजें लगवाई गई, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित नही हुये। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आढा ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिरोही में अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था जो प्रकरण संख्या 03 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को दिनांक 09.07.2024 को नोटिस जारी किया गया था जिस पर अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से जवाबदावा दिनांक 30.08.2024 को ही प्रस्तुत किया एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आयन्दा अवसर चाहा था जिस पर आगामी तारीख पेशी मुकर्र करने का आश्वासन दिया था लेकिन पक्षकारान को किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बगैर दिनांक 30.08.2024 को ही उक्त निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानुनन एवं वाक्यातन गलती की है जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 (बी) जो कि एक वाद के रूप में संस्थित किया जाता है जिसमें विवाधक कायम किया जाना तथा पक्षकारान की साक्ष्य से ही दस्तावेजात को

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ सिरोही ★

साबित किया जाता है तथा प्रतिवादी को वादी के गवाह से जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है लेकिन इस प्रकरण में अधहनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विधिक प्रकिया को नजरअंदाज कर उक्त वाद में न तो विवाधक कायम किये है न ही पक्षकारान की कोई साक्ष्य कलमबद्ध की गई है व साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद कतई साबित नही है एवं साक्ष्य के अभाव में खारीज किये जाने योग्य है. इसके उपरान्त भी इन सभी तथ्यो को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि वाद का निर्णय पारित करते समय निर्णय के साथ डिक्री पर्चा का आदेश पारित किया जाना कानूनन आवश्यक है लेकिन उक्त निर्णय के साथ किसी प्रकार का कोई डिकी पर्चा जारी नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायलय ने दिनांक 30.08.2024 को प्रार्थी के अधिवक्ता का अनुपस्थित होने का उल्लेख किया है इस प्रकार यह पुर्णतया प्रमाणित है कि दिनांक 30.08.2024 को न तो वादी न्यायालय में उपस्थित रहे है न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे है जिससे उक्त वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज करना था लेकिन इसके बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पक्षकारान को सुने बगैर मनमाने तरीके से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनन भूल की है। वादीगण की ओर से अपीलार्थी की अनुपस्थिती में पटवारी हल्का से मेल मिलाप कर गलत रूप से सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करवाकर अधीनस्थ न्यायायल में प्रस्तुत की जो कि वादीगण के गवाहान से प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था लेकिन उक्त प्रकरण में वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई व न ही किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को आधार बना कर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा दस्तावेज आदि को रेकर्ड पर लेकर विवाधक कायम करना होता है तथा उसके पश्चात् पक्षकारान की साक्ष्य ली जाती है एवं साक्ष्य के पश्चात् पक्षकारान/अधिवक्तागण की बहस सुनकर विवाधक वार निष्कर्ष/फाईण्डिंग देते हुए निर्णय पारित करना होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त किसी भी विधिक प्रक्रिया को नही अपनाया एवं मनमाने ढंग व तरीके से कानून से परे जाकर उक्त निर्णय दिनांक 30.08.2024 को पारित किया है। वर्तमान में मौके पर काश्तकारों की फसले खड़ी है जहां पर विधिपूर्वक सीमाज्ञान भी नहीं किया जा सकता है लेकिन उक्त निर्णय में 15 दिन में अपीलार्थी का कब्जा हटाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के सुपुर्द करने का भी आदेश जारी कर दिया एवं निर्णय में ही इसकी पालना करने के लिय उपतहसीलदार कालन्द्री व भू–अभिलेख निरीक्षक पाडीव/ पटवारी हल्का डोडुआ को भी दिनांक 04.9.2024 का निर्णय में पृष्ठांकन कर दिया। इस प्रकार, सम्पूर्ण कार्यवाही गलत व मनगंढत तरीके से करने से उक्त निर्णय अपारत किये जान योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.8.2024 को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी मोहनलाल पुत्र भूबाराम जी सरगडा व पार्वतीदेवी पत्नि मोहनलाल सरगडा, निवासी– डोडुआ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में राजस्थान काश्तकारी अधियिम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी खातेदारी कब्जे–काश्त की भूमि का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है।

.......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रत्यर्थी मोहनलाल पुत्र भूबाराम जी सरगडा व पार्वतीदेवी पत्नि मोहनलाल सरगडा, निवासी– डोडुआ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में एक प्रार्थना पत्र/वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में स्थित उनके खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 875 रकबा 1–9600 हेक्टेयर कृषि भूमि में से लगभग 01 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि को होलीबाई (अपीलार्थी) के कब्जे से खाली करवाई जाकर कब्जा दिलवाये जाने का अनुरोध किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण संख्या 03/2024 दर्ज रजिस्टर किया जाकर होलीबाई (अपीलार्थी) को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में होलीबाई (अपीलार्थी) की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं होलीबाई की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.08.2024 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया तथा उसी दिन, दिनांक 30.8.2024 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में होलीबाई (अपीलार्थी) की ओर से जवाब प्रस्तुत होने के बाद होलीबाई (अपीलार्थी) को साक्ष्य–सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाना चाहिये था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व, अपीलार्थी होलीबाई को बचाव में सुनवाई व साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील, अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 03/2024 में पारित निर्णय दिनांक 30.8.2024 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलांस सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही